

केलारा 1 जेजूराम

104/2023

दिनांक

आज्ञा पत्र

24.12.21

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 12.12.21 को पेश हो।

12.2.26

पत्रावली पेश। सर्वोच्च अपील को पूर्व पेशी पर हदायत दी गई थी। 14 अक्टूबर तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने अथवा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जावेगी। आज दिनांक तक अपीलेंट ने रैस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये यों ई इतने स्पष्ट है कि अपीलेंट अपनी अपील के प्रति समर्थित नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलेंट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फॉर्मल डुबल लेकर न्यायाधीश के कम लेकर न्यायाधीश लक्ष्मील दत्तिल टकरा हो।



अनिल कुमार IIRAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प मुन्डुन)